परशुराम

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-८, जनपद-लखीमपुर खीरी ।

सेवा में.

माननीय संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।

द्वारा : माननीय जनपद न्यायाधीश जनपद-लखीमपुर खीरी ।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-16975/IV-3429/Admin (A-4)/ Dated 21.11.2019 के संदर्भ में माँगी गयी आख्या के संबंध में,

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय, कुरुक्षेत्र हिरयाणा द्वारा वर्ष 2019-2020 में आयोजित की जाने वाली एल०एल०एम० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित हेतु माननीय महोदय के समक्ष निवेदन किया है । उपरोक्त विषयांकित पत्रांक में श्रीमानजी द्वारा अपेक्षित आख्या निम्नवत है:-

1-यह कि प्रार्थी पत्राचार के माध्यम से LL.M. का कोर्स कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा से करना चाहता है। जिसके लिये प्रार्थी को Study Leave की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त अध्ययन हेतु कोई अध्ययन अवकाश (Study Leave) नहीं लेगा।

2-यह कि प्रार्थी दिन-प्रतिदिन क्लास में उपस्थिति के बिना LL.M. का कोर्स पत्राचार के माध्यम से करना चाहता है।

3-यह कि प्रार्थी ने अभी तक LL.M. प्रथम वर्ष की परीक्षा देने हेतु आवेदन नहीं किया है, बल्कि प्रार्थी का उक्त कोर्स के अध्ययन हेतु वर्तमान सत्र में प्रवेश लेना प्रस्तावित है।

4- यह कि विश्व विद्यालय द्वारा अभी तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की गयी है। प्रार्थी परीक्षा की तिथि निर्धारित होने की सूचना प्राप्त होने पर उसे श्रीमानजी के समक्ष उपलब्ध करा देगा।

अतः माननीय महोदय जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी के प्रतिवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने व उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित प्रदान करने की कृपा की जावे । असीम कृपा होगी ।

सादर।

दिनांक : 23.01.2020

गवालय जनपट न्यावाधाश, लेखांमपुर-ख्रीव बेळ्या 168 मे:32-19 क्यांक 24-01-1820 अध्यसारित

> जिला ज्यायाधीश समीमपर-भीती

भवदीय (परशुरतम्)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-८, लखीमपुर-खीरी । प्रेषक

परशुराम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-8 लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वाराः माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी।

विषय- कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा द्वारा आयोजित एल०एल०एम० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित हेतु निवेदन,


महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी कुरुक्षेत्र विशव विद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा द्वारा वर्ष 2019-20 में आयोजित की जाने वाली एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है।

अतः माननीय महोदय जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमित प्रदान करने की कृपा की जावे। असीम कृपा होगी।

दिनांक-30.09.2019

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-8 लखीमपुर खीरी।



From

Rajendra Kumar Chaddha Joint Registrar(Admin 1) High Court of Judicature at Allahabad

To,

The District Judge, Lakhimpur-Kheri.

No. /IV- 3429/ Admin (A-4)/ Dated:

Subject:- Grant of permission to Sri Parashu Ram, Addl. District & Sessions Judge, Lakhimpur-Kheri to appear in the first year examination of LL.M. Course from Kurukshetra University, Krukshetra, Haryana.

Sir,

With reference to your endorsement no. 1579/ I-32-18 dated 30.09.19 on the above subject, I have to say that kindly to draw the attention of Sri Parashu Ram, Addl. District & Sessions Judge, Lakhimpur-Kheri towards this Court's Circular Letter No.35/ IV-h-16/ Admin.(A-4)/ dated 04.11.2011 issued in respect of grant of permission to pursue higher studies and Sri Parashu Ram may kindly be asked to intimate about his position for taking 'Study leave', if required and also to intimate about the academic session and dates of examination of his 1st year LL.M. Course.

Sri Parashu Ram may also be asked to submit prospectus and syllabus of LL.M. Course as well as a declaration, saying that he may do LL.M. Course without attending any day to day class. It is further be intimated to the officer that in the light of Court's letter no. 558/ XXXIII-CPC/ e-Courts/ Allahabad dated 31.08.2019, he may be asked to submit his fresh application alongwith the reply of aforesaid queries through e-services portal only, for taking further necessary action in the matter.

Yours faithfully

Joint Registrar(Admin 1)

No. 16 976 / IV- 3429/ Admin (A-4) / Dated 21.11.19

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Parashu Ram, Addl. District & Sessions Judge, Lakhimpur-Kheri.